



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 354/2024

सुनहर पुडो पिता स्वर्गीय श्री रामसिंह पुडो ,45 वर्ष , निवासी गाँव कोंडे, जिला-उत्तरी बस्तर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, जिला उत्तर बस्तर के द्वारा, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 425 /2024

जगदुनिवासी कोरम पिता हलालखोर ,38 वर्ष कोंडे, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,जिला मजिस्ट्रेट, के द्वारा,जिला -कांकेर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 309 /2024

1 - जयलाल मरकम पिता जेतुराम , 43 वर्ष, निवासी गांव कोंडे, उत्तरी बस्तर, कांकेर, छ.ग.

2 - दलसू राम पुडो पिता स्वर्गीय चैतुराम , 55 वर्ष, निवासी गाँव कोंडे, उत्तरी बस्तर, कांकेर, छ.ग.

--- अपीलकर्ता



बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना दुर्गुकोंडल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

----- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1333 / 2024

सुकल @मानसिंह यादव पितास्वर्गीय अमर सिंह , आयु लगभग 37 वर्ष ,निवासी गाँव-सुभानी खेड़ेगाँव, पी.
एस.-बडगाँव, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , थाना प्रभारी के द्वारा, पी. एस.-दुर्गुकोंडल , जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

दाण्डिक अपील सं 354/2024

अपीलार्थी हेतु

श्री रजत अग्रवाल, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी हेतु

श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 309/2024

अपीलकर्तागण हेतु

सुश्री सविता तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी हेतु

श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 425/2024



अपीलार्थी हेतु श्री एम. पी. एस. भाटिया, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी हेतु श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 1333/2024

अपीलार्थी हेतु श्री संजय पाठक, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी हेतु श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,
26.03.2025

- दाण्डिक अपील संख्या 354/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजत अग्रवाल, सीआरए संख्या 309/2024 में अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सविता तिवारी, दाण्डिक अपील संख्या 425/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एमपीएस भाटिया और दाण्डिक अपील संख्या 1333/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पाठक को सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकिय अधिवक्ता श्री शालीन सिंह बघेल को भी सुना गया।
- विशेष प्रकरण संख्या 22/2021 में एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित दिनांक 16.01.2024 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार एक सामान्य अपराध से उत्पन्न होने वाले तथ्यों और विधिक के प्रश्नों की समानता को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- अपीलकर्ता-सुन्हेर पंडो (ए-1) ने दाण्डिक अपील संख्या 354/2024, अपीलकर्ता-जयलाल पुडो (ए-2) और दलसू राम पुडो (ए-4) ने दाण्डिक अपील संख्या 309/2024, अपीलकर्ता-जदगुराम कोरम (ए-



3) ने दाण्डिक अपील संख्या 425/2024 और अपीलकर्ता-सुकाल उर्फ मानसिंह यादव (ए-5) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "सीआरपीसी") की धारा 374(2) के तहत दाण्डिक अपील संख्या 1333/2024 पेश की है, जिसमें एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश और उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 22/2021 में पारित दिनांक 16.01.2024 के आक्षेपित निर्णय पर सवाल उठाया गया है, जिसके द्वारा सभी अपीलकर्ता/अभियुक्त अर्थात सुन्हेर पंडो (ए-1), जयलाल पुड़ो (ए-2), जादगुराम कोरम (ए-3), दलसु राम पुड़ो (ए-4) और अपीलकर्ता सुकाल उर्फ मानसिंह यादव (ए-5) को दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार दंड पारित किया गया :-

अपीलार्थी-सुनहर पांडो

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना, 2 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया ।		

अपीलार्थी-जयलाल मरकाम

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना, 2 महीने हेतु अतिरिक्त



		कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया		

अपीलार्थी-जगदुराम कोरूम

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत		: जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना, 2 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के तहत		: जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 के तहत:		आजीवन कारावास तथा 2, 000/- का जुर्माना , जुर्माने का भुगतान न करने पर, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया ।		

अपीलार्थी-दलसू राम पुडो

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत		: जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना, 2 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।



भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के तहत	: जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 के तहत	: जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया ।	

अपीलार्थी-सुकालु @मानसिंह यादव

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत	: जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये का जुर्माना, 2 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के तहत	: जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 के तहत	: जुर्माने का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास।
समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया	

4. अभियोजन पक्ष की कहानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:दिनांक 27.08.2019 को सायं 07.30 बजे ग्राम बड़ी कोंडे में दादूसिंह कोरटिया के घर पर सभी अभियुक्तगण ने अन्य फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर दादूसिंह कोरटिया की हत्या का षडयंत्र रचा तथा अन्य फरार अभियुक्तगण जिनकी संख्या 5 या उससे अधिक है के साथ विधि विरुद्ध जमाव कारित किया, जिनका सामान्य उद्देश्य मृतक दादूसिंह कोरटिया की हत्या करना था।उक्त समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने में, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों ने घातक हथियारों से लैस होकर, बल और हिंसा का प्रयोग किया और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, दादूसिंह कोरटिया के घर पर हमला किया, जो एक मानव निवास था, उनके घर में प्रवेश किया और दादूसिंह कोरटिया को स्वैच्छिक



मृत्यु/गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया और गुप्त घर में अतिचार/घर में संधमारी की और अपराध की उक्त दिनांक को, फरार अभियुक्तगण के साथ अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलीभगत करके, समूह के समान उद्देश्य की पूर्ति में, एक धारदार हथियार से हमला किया, दादूसिंह कोराटिया की हत्या की और अपने कब्जे में अवैध रूप से घातक हथियार रखे और उनका उपयोग किया और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, अर्थात् सीपीआई (माओवादी) का सदस्य होने के नाते, भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने या लोगों के किसी भी वर्ग के बीच आतंक पैदा करने के आशय से एकता, अखंडता, सुरक्षा या कल्याण को खतरे में डालने का प्रयास किया, घातक हथियारों का उपयोग करके चादुराम कोटरिया की हत्या कर दी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों को बढ़ावा देना/प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्य किया।

5. आगे अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 27.08.2019 को रात्रि 8.00 बजे थाना दुर्गुकोंदल को मोबाईल से सूचना दी गई कि श्रीमती देवली कोराटिया के पति दादूसिंह कोराटिया की अज्ञात हथियारबंद माओवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना दुर्गुकोंदल के उपनिरीक्षक रामनारायण ध्रुव (पी.डब्लू.-34) घटनास्थल अर्थात् दादूसिंह कोराटिया के घर पहुंचे, जहां श्रीमती देवली कोराटिया (पी.डब्लू.-1) द्वारा सूचना दिए जाने पर कि हथियारबंद माओवादियों द्वारा दादूसिंह कोराटिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर उनके द्वारा दादूसिंह कोराटिया की मौके पर ही अचानक एवं असामयिक मृत्यु की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 0/2019 पर अप.प्र./1 के तहत पंजीबद्ध की गई। परिवादी श्रीमती. देवली कोराटिया (पी.डब्लू.-1) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27.08.2019 को वह और उसकी पुत्री तथा पति घर पर थे, तभी दो व्यक्ति तथा एक 12 वर्षीय बालक जो साइकिल से गिर गया था (घायल) उसके साथ आये, जिसे अस्पताल में मरहम-पट्टी करानी है, जिस पर उन्होंने उसे अस्पताल चलने को कहा, इसी बीच उसके यह कहने पर कि वे घमारे के ग्रामीण नहीं लगते, सुनकर उसका पति रसोई से बाहर आया, उसी समय दोनों व्यक्तियों ने कमर से हथियार निकाला तथा उसके पति को जान से मारने के लिए वार करने लगे तथा उनका कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर उन्होंने कुत्ते को गोली मार दी, फिर उसके पति की कनपटी पर चढ़ गया, फिर उन लोगों ने उसके पति को गोली मार दी, जिससे उसका पति बाहर रोड पर गिर गया, जहां दस-बारह व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से सुन्दर पुडो, जयलाल, झगडू आदि जो वहां से यह कहते हुए गये कि "लाल सलाम जिंदाबाद" तथा "आर.एस.एस. के गुंडों को ऐसे ही मरना चाहिए" देहाती-नालीशी पंजीबद्ध की गई। प्र.पी/4, जिसके आधार पर प्र.पी/2 द्वारा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, जिसमें घटनास्थल को लाल रंग से 'ए' से चिन्हित किया गया है तथा मृतक दादूसिंह कोराटिया का शव जहां पड़ा था, उसे 'बी' से चिन्हित किया गया है तथा जहां कुत्ते को गोली मारी गई थी, उसे 'सी' से चिन्हित किया गया है, क्रमांक बी, बी-1, डी, ई दर्शाया गया है तथा एफ में सड़क पर वह स्थान दर्शाया गया है, जहां सुन्हेर पुडो आदि दस-बारह माओवादी लाल सलाम जिंदाबाद, बीसीपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।

6. अन्वेषण के दौरान शव पंचनामा कार्यवाही हेतु गवाहों को नोटिस (एक्स.पी/10) दिया गया तथा मृतक दादूसिंह कोराटिया के शव का पंचनामा एक्स.पी/11 के अनुसार तैयार किया गया। मृतक का शव परीक्षण करने



तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएचसी दुर्गूकांडल को लिखित आवेदन (एक्स.पी/38 ए) प्रस्तुत किया गया। मृतक का शव परीक्षण करने हेतु कांस्टेबल क्रमांक 883 कोमेश्वर कोसरिया को ड्यूटी प्रमाण पत्र एक्स.पी/34 जारी किया गया था। घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष लाल बैनर कपड़े पर सिल्वर पेंट से लिखे 4 माओवादी बैनर, सफेद कागज पर काली स्याही से कम्प्यूटर मुद्रित पर्चों की प्रतियां तथा अन्य नक्सली पर्चे; 9 प्रतियां, 26 प्रतियां, सफेद कागज पर काली स्याही से कम्प्यूटर मुद्रित पर्चों की 27 प्रतियां, सफेद कागज पर हाथ से लाल स्याही से लिखा एक नक्सली पर्चा "दादू सिंह जनता का शत्रु है", "दादू सिंह आरएसएस का सक्रिय प्रचारक है", उ.ब. संभागीय कमेटी सीपीआई, दो प्रतियां; सफेद कागज पर काली स्याही से कम्प्यूटर मुद्रित पर्चा शीर्षक "आयुक्त राष्ट्रीय जनता माओवादी केन्द्रीय कमेटी सीपीआई", पर्चे की 2 प्रतियां, 7 सेट जब्ती ज्ञापन प्र.पी/15 के तहत जब्त किया गया। मृतक दादूसिंह के शव के पास प्लास्टिक के डिब्बे में खून से सनी मिट्टी तथा प्लास्टिक के डिब्बे में सादी मिट्टी, मृतक दादूसिंह के शव से बहता खून रुई में भिगोया हुआ तथा सादी रुई को सीलबंद कर जब्ती ज्ञापन प्र.पी/16 के तहत जब्त किया गया। घटनास्थल से ही एक काले रंग की चप्पल जब्त की गई, जिसके आधार पर 9 एमएम 2 जेड 02 ओ के लिखा हुआ था, घटनास्थल से एक खाली कारतूस का खोखा जब्त किया गया, जिस पर पालतू कुत्ते को गोली मारने वाले स्थान के पास 7.62 के एफ 04 ए 7 लिखा हुआ था, एक फायर किया हुआ राउंड, जिसके आधार पर 9 एमएम 2 जेड 02 ओ के लिखा हुआ था तथा एक खाली खोल, जिसके आधार पर 9 एमएम 2 जेड 02 ओ के लिखा हुआ था, दादूसिंह कोरटिया के शव के पास से 2 तांबे की गोलियां जब्त की गई, जिसे जब्ती ज्ञापन प्र.पी/18 के तहत जब्त किया गया। थाने वापस आकर शून्य पर दर्ज प्रकरण सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 16/2019 प्र.पी/55 के तहत पंजीबद्ध किया गया। थाने पर वापस आकर शून्य पर दर्ज मामले की सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 16/2019, प्र.पी/55 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। ग्रामीण के परिवाद के आधार पर दुर्गूकांडल थाने में अपराध क्रमांक 23/2019 के तहत भा.दं. सं. की धारा 302, 147, 148, 149, 120 (बी), 460 के साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत अभियुक्त सुंदर पुडो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोराम व अन्य सशस्त्र माओवादियों के खिलाफ यूपी डिविजनल कमेटी सीपीआई (एम) के तहत प्र.पी/56 दर्ज किया गया। दिनांक 28.08.2019 को श्रीमती देवली कोरटिया एवं सुश्री सत्या का कथन उनके कथनानुसार दर्ज किया गया, दिनांक 29.08.2019 को सुन्हेर पुडो, जगदुराम कोराम एवं जयलाल मरकाम को हिरासत में लेकर साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत उनके ज्ञापन कथन दर्ज किये गये, जिसमें सुन्हेर पुडो (प्रत्यक्ष पी/19) का स्वीकारोक्ति बयान, जगदुराम कोराम (प्रत्यक्ष पी/20) का स्वीकारोक्ति बयान एवं जयलाल मरकाम (प्रत्यक्ष पी/21) का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि माओवादी नक्सली दर्शन पद्दा, हीरालाल एवं अन्य 15-20 नक्सली हथियार एवं बंदूक लेकर दादूसिंह को मारने हेतु ग्राम कोण्डे आये थे तथा दादूसिंह के घर के पास खड़े होकर दादूसिंह के ट्रैक्टर के पास घटना को देखते हुए वहां से लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चले गये थे। उन्हें प्र.पी./57 से प्र.पी./59 तक गिरफ्तार किया गया तथा उनके परिजनों को प्र.पी./57 ए से प्र.पी./59 ए तक गिरफ्तारी की सूचना दी गई। घटना में घायल पालतू कुत्ते की चोटों की जांच के बाद रिपोर्ट देने के लिए रेफरल



पत्र (प्र.पी./37 ए) पशु चिकित्सालय दुर्गूकांडल भेजा गया। मौके पर जब्त सभी पशुओं को भी पशु चिकित्सालय भेजा गया।

7. अन्वेषण के दौरान संपत्ति को थाने में लाकर भंडार गृह में सुरक्षित रखने के लिए हेड कांस्टेबल सोमेश्वर सिंह कुंवर को सौंप दिया गया तथा पावती (प्र.पी./60) प्राप्त की गई। सूचना मिलने पर थाना पर एसआई दीवान, आरक्षक क्रमांक 883, 591, 1170 के साथ दिनांक 29.08.2019 को ग्राम कोंडे से थाना में दर्ज सनहा क्रमांक 756 में रिटर्न दर्ज किया गया, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र.पी. 61 के अनुसार संलग्न है। प्रकरण की आगे की अन्वेषण एसडीओपी भानुप्रतापपुर अमोलक सिंह ढिल्लो (पीडब्लू-33) द्वारा की गई तथा जांच को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 11.09.2019 को मृतक दादूसिंह कोरटिया के घर जाकर घटना स्थल का नक्शा प्र.पी. 3 के अनुसार तैयार किया। दिनांक 11.09.2019 को साक्षी सुश्री सत्या पुड़ो, श्रीमती देवली कोटरिया के पूरक कथन तथा साक्षी राजू नायक, श्रीमती शांति बाई साहू, नेहरू राम पुड़ो, संजय, हरेन्द्र, श्रीमती चम्पा, गेदलाल साहू के कथन दर्ज किए गए। उक्त गवाहों का साक्ष्य लेने से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें थाना भानुप्रतापपुर में उपस्थित होने के संबंध में नोटिस (एक्स.पी/39 से एक्स.पी/41) जारी किये गये थे। उक्त साक्षियों का साक्ष्य लेने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें थाना भानुप्रतापपुर में उपस्थित होने के संबंध में नोटिस (एक्स.पी/39 से एक्स.पी/41) जारी किए गए थे। दिनांक 12.09.2019 को अभियुक्तगण दलसुराम पुड़ो, सुकल यादव उर्फ मानसिंह, मनोज बघेल, हरिश्चंद्र गावड़े को अभिरक्षा में लेकर उनसे परीक्षण कर उनके ज्ञापन कथन क्रमशः एक्स.पी/22 एवं एक्स.पी/23 के तहत दर्ज किए गए। उक्त दिनांक को अभियुक्तगण सुकल एवं दलसू को गिरफ्तारी ज्ञापन एक्स.पी/42 एवं एक्स.पी/43 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा उनके परिजनों को एक्स.पी/42 ए एवं एक्स.पी/43 ए के तहत सूचना दी गई। अभियुक्तगण दलसुराम पुड़ो एवं सुकल ने अपने ज्ञापन कथन में बताया कि उन्होंने माओवादियों के साथ मिलकर दादूसिंह कोरटिया की हत्या की थी तथा माओवादियों के साथ नारे लगाते हुए भाग गए थे। दिनांक 25.09.2019 को बड़गांव थाने के हेड कांस्टेबल क्रमांक 195 ने उत्तर बस्तर डिजाइनल कमेटी सीपीआई(एम) की प्रेस विज्ञप्ति युक्त पर्चों की दो प्रतियां लाईं, जिसमें लिखा था "आरएसएस, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से सावधान", "आरएसएस और भाजपा के गुंडे दादूसिंह को जनता की न्यायालय में मृत्यु दंड पारित किया गया"। जब्ती ज्ञापन एक्स.पी/27 के अनुसार तैयार किया गया था। उसी दिन प्रधान आरक्षक क्रमांक 263, उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिदार एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 195 के कथन दर्ज किए गए तथा उनके कथनानुसार दिनांक 25.10.2019 को आरक्षक क्रमांक 630 द्वारा दुर्गूकंदल थाने में लाकर प्रस्तुत किए जाने पर अस्पताल से चिकित्सक द्वारा संरक्षित किए गए 6 पैकेट कपड़े एवं सैंपल जब्ती ज्ञापन प्र.पी/14 के माध्यम से जब्त किए गए। दिनांक 16.02.2020 को चम्पूलाल खुश्याम प्रधान आरक्षक द्वारा आरोपीगण सुन्हेर पुड़ो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोराम, सुकाल उर्फ मानसिंह, दलसू पुड़ो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/2004, 10/2008, 44/2008, 63/2008, 26/2010, 26/2010, 26/2016 के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी/32 ए) की छायाप्रति एवं आपराधिक अभिलेख (प्र.पी/32 बी) की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर थाना दुर्गूकाण्डल के अपराध क्रमांक 60/2004, 10/2008, 44/2008, 63/2008, 26/2010, 26/2010, 26/2016 के संबंध में अभियुक्तगण



सुन्हेर पुड़ो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोराम, सुकाल उर्फ मानसिंह, दलसू पुड़ो के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी/32 ए) की छायाप्रति एवं आपराधिक अभिलेख (प्र.पी/32 बी) की छायाप्रति को जब्त कर लिया गया है। दिनांक 17.02.2020 को सुशांत भदाउ, शंकर लाल पोटाई तथा दिनांक 18.02.2020 को चमन कांगे, अगनू राम दुग्गा, जगदेव बड़े, चुकाराम नेताम के कथन दर्ज किए गए तथा उनके कथनानुसार दिनांक 12.09.20219 को नोटिस (प्र.पी/44 एवं प्र.पी/45) जारी कर उन्हें पूछताछ हेतु बुलाया गया तथा दिनांक 17.02.2020 को नोटिस (प्र.पी/46) जारी कर दिनांक 18.02.2020 को नोटिस (प्र.पी/47 एवं प्र.पी/48) जारी किए गए तथा तत्पश्चात दिनांक 23.09.2019 को तहसीलदार दुर्गुकोंदल को पटवारी द्वारा स्थल मानचित्र तैयार करवाने हेतु लिखित परिवाद (प्र.पी/49) भेजी गई। दिनांक 30.11.2019 को पुलिस अधीक्षक कांकेर को लिखित परिवाद (प्र.पी/30) प्रेषित कर थाना दुर्गुकोंदल में अपराध क्रमांक 23/2019 के तहत शस्त्र अधिनियम कि धारा 25, 27 एवं अन्य धाराओं के तहत जिला दंडाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया था। लिखित आवेदन (प्र.पी/35 ए) मय केस डायरी के प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को पत्र (प्र.पी/35) जारी किया गया तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से आदेश क्रमांक/डीएम/एलसी/अभियोजन स्वीकृति/एफ-23/2019 कांकेर दिनांक 03.12.2019 (प्र.पी/36) तैयार किया गया था। दिनांक 30.11.2019 को ही लिखित आवेदन मय लिखित शिकायत प्र.पी/50 के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय कांकेर को सचिव, गृह, छग शासन, गृह विभाग, मंत्रालय से अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पत्र क्रमांक/पी.ए./कांकेर/री-1/एम/9369/2019 दिनांक 02.12.2019 प्र.पी/50 ए के तहत गृह, छग शासन को जारी किया गया। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग सी-अनुभाग मंत्रालय द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ-4-239/गृह-सी-2019 दिनांक 28.12.2019, प्र.पी/50 बी कुर्क किया गया तथा प्रकरण में जप्त संपत्ति वस्तु-ए से डी, मौके पर जप्त खून लगी मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतक के शरीर से बहते खून में भीगी रूई एवं सादी रूई, यह जांच हेतु कि यह मानव रक्त है, यदि हां तो उसका ग्रुप क्या है, इस प्रयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ड्राफ्ट प्र.पी/51 क्रमांक/एस/कांकेर/रीडर-1/2019 के साथ आरक्षक क्रमांक 1044 लिखेश्वर साहू के माध्यम से एफएसएल हेतु क्षेत्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेजा गया, जहां से रसीद प्र.पी/31 प्राप्त हुई, वस्तु-ए से एच जिसमें मृतक के कपड़े, खाली कारतूस का खोल, एक मिसफायर राउण्ड एवं दो कॉपर बुलेट को एफएसएल जांच हेतु राज्य न्याय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया आरक्षक क्रमांक 1044 लिखेश्वर साहू के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ड्राफ्ट (एक्स.पी/52) के साथ, क्रमांक/एस/कांकेर/रीडर-1/310/2019 दिनांक 19.11.2019 को भेजा गया और यह उल्लेख किया गया है कि समूह वर्गीकरण में अनुच्छेद-सी अनिश्चित पाया गया था। संयुक्त संचालक जी.एस. साहू द्वारा प्रारूप क्रमांक 310 आर्टिकल-ए से एच तक का कार्यालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से दिया गया परीक्षण प्रतिवेदन एक्स.पी/55 है, जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल-ईसी-1, ईसी-2 भारतीय आयुध निर्माणी द्वारा निर्मित 7.62×39 मिली कैलिबर के कारतूस के खाली फायर किए गए खोल हैं, आर्टिकल ईसी-3 भारतीय



आयुध निर्माणी द्वारा निर्मित 9 मील कैलिबर के कारतूस का खाली फायर किया गया खोल है, आर्टिकल-ईबी-1 38 इंच कैलिबर के कारतूस की फायर की गई गोली है, आर्टिकल ईबी-2 9 मिली कैलिबर के कारतूस की फायर की गई गोली है, आर्टिकल ए-1, आर्टिकल ए-2 एवं आर्टिकल बी के कपड़ों पर गोली लगने से कोई छेद नहीं है, फायरिंग डिस्चार्ज नहीं है, आर्टिकल सी, डी एवं ई के रूई के फाहे पर अवशेष अंकित है, इन सभी प्रतिवेदनों को संलग्न किया गया है।

8. तत्पश्चात, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उचित जांच के बाद, पुलिस ने संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया और उसके बाद, मामला कानून के अनुसार सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहां से एनआईए अधिनियम के तहत विद्वान विशेष न्यायालय और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (सीजी) ने कानून के अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिए मामले को विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया। विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आईपीसी") की धारा 148, 120 बी और 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप निर्धारित किया गया हैं तथा विचारण पर आगे बढ़े हैं। अपीलकर्ताओं ने अपने अपराध से इन्कार कर दिया तथा बचाव में कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उन्हें इस अपराध में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उनका नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है तथा वे सामान्य ग्रामीण हैं।

9. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए पी.डब्ल्यू.-1 से पी.डब्ल्यू.-35 तक 35 साक्षी से परीक्षण किया गया तथा एक्स.पी/1 से एक्स.पी/61 तक 61 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों ने अपने बचाव के समर्थन में न तो किसी साक्षी से परीक्षण की तथा न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

10. विचारण न्यायालय ने विचारण पूरा होने के पश्चात तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 16.01.2024 को अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के तीसरे कंडिका में उल्लिखित तरीके से दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत ये अपीलें प्रस्तुत की गईं, जिनमें आक्षेपित निर्णय पर प्रश्न उठाए गए।

11. श्री रजत अग्रवाल, सीआरए संख्या 354/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सुश्री सविता तिवारी, सीआरए संख्या 309/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री एम.पी.एस. सी.आर.ए. संख्या 425/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री एम.एस. भाटिया और सी.आर.ए. संख्या 1333/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय पाठक ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को आई.पी.सी. की धारा 148, 120 बी और 302/149 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित संदेह से परे अपराध को साबित नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार



किए बिना ही अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी करार दे दिया, जबकि कोई विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है, जैसा कि श्रीमती देवली कोराटिया (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के पैरा-3 में है, उन्होंने स्वयं यह बयान दिया है कि दो व्यक्ति उनके घर में आए और उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी तथा घर से भाग गए, तथा घर के बाहर उपस्थित अपीलकर्ता सुन्हेर पुडो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोराम, सुकल यादव, दलसु राम पुडो तथा अन्य 10-12 व्यक्ति उपस्थित थे तथा सड़क पर नारे लगा रहे थे कि "लाल सलाम सीपीआई जिंदाबाद तथा आरएसएस के गुंडे को मरना होगा" तथा उन्होंने अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति वर्तमान अपीलकर्ता है, इसलिए उनका बयान अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं से किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु की जब्ती नहीं हुई है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल यही आरोप है कि वे मृतक के घर के बाहर अन्य 10-12 व्यक्तियों के साथ खड़े थे, जिसका यह मतलब नहीं है कि वे कथित अपराध में शामिल थे, इसलिए अपीलकर्ताओं का दंड विधि कि दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के अपीलकर्ताओं को दोषी करार दिया है क्योंकि उन्हें फंसाने के लिए अभिलेख में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। आगे यह भी कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विवेक के नियम के विपरीत है क्योंकि न तो प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य को साबित किया गया है और न ही कोई ऐसा विधिक साक्ष्य है जो अभियोजन पक्ष के मामले को निर्णायक रूप से प्रमाणित कर सके तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के मामले की तुलना में बचाव पक्ष का मामला अधिक संभावित है, इसलिए अपीलकर्ताओं की दंड यथावत नहीं रह सकती है। यह तर्क दिया गया है कि ज्ञापन और जब्ती के गवाहों के साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है और विधि के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय को अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलकर्ताओं को उक्त अपराध से दोषमुक्त/मुक्त किया जाना चाहिए।

12. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकिय अधिवक्ता श्री शालीन सिंह बघेल ने प्रतिपक्ष में दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने पुख्ता प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी आपत्तिजनक सामग्रियों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है। अतः, ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा ऊपर की गई उनकी प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार किया है तथा अत्यंत सावधानी के साथ निचली न्यायालय के मूल अभिलेख को भी देखा है।



14. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की सराहना करने के लिए, हमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करनी होगी। 15. सबसे पहले, विचारण के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए निर्धारण के प्रश्नों पर ध्यान देनासुसंगत होगा, जो इस प्रकार है:---

"01- क्या मृतक दादू सिंह कोरटीया की मृत्यु मानव वध स्वरूप की है ?

02-क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27/8/2019 को 7.30 बजे दादूसिंह कोरटिया के मकान बाडी ग्राम कोण्डे में माओवादी संगठन के साथ मिलकर, दादू सिंह कोरटीया की हत्या कारित करने का षडयंत्र किया ?

03- क्या अभियुक्तगण ने माओ वादी संगठने के साथ मिलकर बनाये गये हत्या करने की षडयंत्र में गठित विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहकर जिसका सामान्य उद्देश्य मृतक दादूसिंह कोटरिया की हत्या करना था, उक्त उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल एवं हिंसा का प्रयोग किया ?

04- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर दादूसिंह कोटरिया की हत्या के उद्देश्य से गठित विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहकर, जिसके द्वारा, रिवाल्वर, जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग करने से मृत्यु कारित होना संभाव्य जानते हुए सहित था. उक्त विधि विरुद्ध जमाव या उनके किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

05- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय पर विधि विरुद्ध जमाव के रूप में संगठित होकर सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व दादूराम कोटरिया के गृह में, जो मानव निवास के उपयोग में आता है, प्रवेश कर दादूराम कोटरिया की स्वेच्छया मृत्यु/योर उपहति कारित करने का प्रयत्न कर प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन कारित किया ?

06- क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने साथ मिलकर समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अथवा समूह के किसी सदस्य ने दादूराम कोटरिया के बांये कनपटी में गोली मारकर एवं धारदार हथियार से हमला कर मृत्यु कारित कर हत्या की ?

07- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतक दादूराम कोटरिया की हत्या कारित करने की घटना के अग्रसरण करने में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र कारित किया ?

08- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सक्षम प्राधिकारी, जिला दंडाधिकारी के अनुज्ञा पत्र के बिना घातक आयुधों को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर उसका प्रयोग किया ?

09- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन भा०क०पा० (माओवादी) के सदस्य रहकर भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को संतर्जित करने के आशय से घातक आयुधों का प्रयोग कर, दादूराम कोटरिया की हत्या कारित किया ?



10- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन भा०क०पा० (माओवादी) के सदस्य रहकर दादूराम कोटारिया को क्षति पहुंचाने के लिए गोलीबारी किया ?

11- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन भा०क०पा० (माओवादी) के सदस्य रहकर अपराध कारित किया ?

12- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन भा०क०पा० (माओवादी) के क्रियाकलापों को अग्रसर करने / प्रोत्साहित करने संबंधी कृत्य किया ?"

16. अब अपीलों के इस समूह में हमारे सामने विचार हेतु पूछे गए प्रश्न निम्नानुसार हैं:---

(i) क्या विद्वान विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत है कि मृतक दादूसिंह कोटारिया की मृत्यु हत्या प्रकृति की है?

(ii) क्या विद्वान विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में उचित है कि अपीलकर्ता ही अपराध के रचयिता हैं?

17. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय का यह मानना न्यायसंगत है कि मृतक दादूसिंह कोटारिया की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी?

18. विद्वान विचारण न्यायालय, डॉ. मनोज किशोर (पीडब्लू-30) के बयान पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने एक्स.पी/38 के तहत मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया है, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक की मृत्यु का कारण सिर में चोट और सीने में गोली लगने से हुई थी और दोनों ही व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं और गोली के बल के प्रभाव से सिर में लगी चोट और सभी चोटें प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और साथ ही मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। अन्यथा भी, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसे गंभीरता से विवादित नहीं किया गया है। हम एतद्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

19. विचारणीय अगला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने यह सही माना है कि अपीलकर्ता ही अपराध के रचयिता हैं।

20. वर्तमान मामले में, सिर में चोट लगने तथा सीने में गोली लगने से हुई हत्या तथा दोनों ही सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से पर्याप्त हैं तथा सिर में गोली लगने से हुई चोट तथा सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं, इस पर अपीलकर्ताओं की ओर से पर्याप्त रूप से विवाद नहीं किया गया है।



21. दूसरी ओर, घटना की प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती देवली कोरटिया (पीडब्लू-1) के साक्ष्य से भी यह स्थापित होता है, जो मृतक की पत्नी हैं तथा जिन्होंने अपीलकर्ता सुन्हेर पुड़ो, जयलाल मरकाम तथा जादगुराम कोडुम के नामों का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/38) से भी यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

22. बालू सुदाम खालदे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 355 में रिपोर्ट की गई निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :---

“26. जब किसी घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य की सराहना की जानी हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

(क) घटना के समय और स्थान पर घायल प्रत्यक्ष साक्षी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसके बयान में भौतिक विरोधाभास न हों।

(ख) जब तक कि साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न हो जाए, यह विश्वास किया जाना चाहिए कि घायल साक्षी वास्तविक अपराधियों को भागने नहीं देगा और अभियुक्तों को झूठा फंसाएगा।

(ग) घायल साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

(घ) घायल साक्षी के साक्ष्य पर उसके स्वाभाविक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभास के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है।

(ङ) यदि किसी घायल साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या असंगत अलंकरण है, तो ऐसे विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को घायल के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन पूरे साक्ष्य को नहीं।

(च) अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विसंगतियों को, जो आमतौर पर समय बीतने के साथ स्मृति हानि के कारण सामने आती हैं, हटा दिया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)”

23. यद्यपि उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास और चूक हैं, लेकिन श्रीमती देवली कोरटिया (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के अनुसार, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने चार अभियुक्तगण के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, अर्थात् सुन्हेर पुड़ो, जयलाल मरकाम और जादूराम कोरम और उनके ज्ञापन के आधार पर, अन्य आरोपी व्यक्ति अर्थात् दलसु राम पुड़ो और सुकाल उर्फ मानसिंह यादव को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है, इसलिए, अभियुक्त /प्रतिवादियों की संलिप्तता उचित संदेह से परे साबित हुई है।



24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सी. मुनियप्पन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में (2010) 9 एससीसी 567 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

“85. विधि का यह स्थापित प्रस्ताव है कि भले ही कुछ चूक, विरोधाभास और विसंगतियां हों, लेकिन पूरे साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सावधानी और सतर्कता बरतने तथा सत्य को असत्य, अतिशयोक्ति और सुधार से अलग करने के लिए साक्ष्यों की छानबीन करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या अवशिष्ट साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, उन चूकों, विरोधाभासों और विसंगतियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो मामले के मूल तक नहीं पहुंचते हैं और अभियोजन पक्ष के साक्षी के मूल कथन को हिला देते हैं। चूंकि किसी मनुष्य की मानसिक क्षमताओं से घटना के सभी विवरणों को आत्मसात करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए साक्षियों के बयानों में छोटी-मोटी विसंगतियां होना स्वाभाविक है। (सोहराब और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1972 एससी 2020; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एमके एंथोनी, एआईआर 1985 एससी 48; भरवाड़ा भोगिनी भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1983 एससी 753; राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश एआईआर 2007 एससी 2257; पृथु @ पृथ्वी चंद और अन्य वी.हिमाचल प्रदेश राज्य, (2009) 11 एससीसी 588; यूपी राज्य बनाम संतोष कुमार एवं अन्य, (2009) 9 एससीसी 626; और राज्य बनाम सरवनन एवं अन्य, एआईआर 2009 एससी 151)।”

25. भा.दं. सं. कि धारा 149 कहती है कि विधि विरुद्ध सभा का हर सदस्य साझा उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। भा.दं. सं. कि धारा 149 काफी स्पष्ट है। भा.दं. सं. कि धारा 149 काफी स्पष्ट है इसमें कहा गया है कि यदि किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है, जिसके बारे में उस जनसमूह के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किया जाना सम्भाव्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उक्त जनसमूह का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार, यदि यह धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का मामला है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य भा.दं. सं. कि धारा 302 के तहत अपराध करने का दोषी होगा।

26. कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 11 एससीसी 237 में रिपोर्ट की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं. सं. कि धारा 149 की जांच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:---

“20. अब यह सुस्थापित विधि है कि जब भी किसी विधि विरुद्ध सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या जब उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में अपराध किए जाने की संभावना है, तो भारतीय दंड संहिता कि धारा 149 के प्रावधान लागू होंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध को करने के समय एक सदस्य है, उस अपराध के लिए उत्तरदायी और दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता कि धारा 149 विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों की



उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए गैरकानूनी कृत्यों के लिए एक रचनात्मक या प्रतिनिधिक दायित्व बनाती है। यह सिद्धांत सभा के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी मानता है, जहां वह अपराध उस सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो, या ऐसे सदस्यों या सभा को पता हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध किया जाना संभावित है।

21. चोट पहुँचाने या न पहुँचाने का तथ्य प्रासंगिक नहीं होगा, जहाँ अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता कि धारा 149 की सहायता से फँसाने की कोशिश की जाती है। न्यायालय द्वारा जाँचा जाने वाला सुसंगत प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त किसी विधि विरुद्ध सभा का सदस्य था, न कि यह कि क्या उसने वास्तव में अपराध में सक्रिय भाग लिया था या नहीं।"

27. इस प्रकार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता कि धारा 149 विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के लिए उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए गैरकानूनी कृत्यों के लिए रचनात्मक या प्रतिनिधि दायित्व बनाती है। इस सिद्धांत के आवेदन से, किसी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में उस सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। चोट पहुँचाने या न पहुँचाने का तथ्य तब सुसंगत नहीं होगा जब अभियुक्त को धारा 149 आईपीसी की सहायता से आरोपित किया जाता है। जो प्रश्न प्रासंगिक है और जिसका उत्तर न्यायालय को देना आवश्यक है वह यह है कि क्या अभियुक्त किसी गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य था, न कि यह कि क्या उसने वास्तव में अपराध में भाग लिया था या नहीं।

28. वास्तव में, विनुभाई रणछोड़भाई पटेल बनाम राजीवभाई दुदाभाई पटेल (2018) 7 एससीसी 743 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को दोहराया है कि धारा 149 आईपीसी एक अलग अपराध नहीं बनाती है, बल्कि केवल सामान्य उद्देश्य से किए गए कार्यों के लिए विधि विरुद्ध सभा के सभी सदस्यों की प्रतिनिधि देयता घोषित करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"20. ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में अभियुक्तों ने "विधि विरुद्ध सभा" का गठन किया है और उन पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर हमला करने और उन्हें मारने का आरोप है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त घातक चोट या कोई भी चोट पहुंचाए। ऐसे मामलों में धारा 149 का आह्वान आवश्यक है ताकि ऐसे विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों को प्रतिनिधि दायित्व के आधार पर दंडित किया जा सके, भले ही उन पर उचित मामलों में घातक चोट पहुंचाने का आरोप न हो, यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उचित ठहराते हैं। इस तरह की "विधि विरुद्ध सभा" में किसी आरोपी की मौजूदगी ही उसे हमले के शिकार की मौत के लिए धारा 149 आईपीसी के तहत उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि आरोपियों को बताया जाए कि उन्हें धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए धारा 149 आईपीसी के तहत उत्तरदायी ठहराने वाले आरोप



का सामना करना होगा। धारा 149 को उचित रूप से लागू करने और लागू करने में विफलता बड़ी संख्या में अपराधियों को अपराध से बचने में सक्षम बनाती है।

* * * * *

22. जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो यह संभव है कि सभा के कुछ सदस्य ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो लेनदेन को अपराध बनाता है और शेष सदस्य उस "महत्वपूर्ण कार्य" में भाग नहीं लेते हैं – उदाहरण के लिए हत्या के मामले में, घातक चोट पहुंचाना। ऐसी परिस्थितियों में, विधानमंडल ने विधायी नीति के रूप में अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व की अवधारणा को लागू करना उचित समझा। भा.दं. सं. की धारा 149 एक ऐसा ही प्रावधान है। यह समाज की शांति बनाए रखने और गलत काम करने वालों (जो अपराध करने में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं या सहायता करते हैं) को इस आधार पर दण्ड से छूट का दावा करने से रोकने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में बनाया गया प्रावधान है कि विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के रूप में उनकी गतिविधि सीमित है।

* * * * *

34. धारा 149 के तहत किसी विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों पर दायित्व से छूट देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरुद्ध सभा का हर सदस्य जमावड़े के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध करे। जमाव के सदस्यों द्वारा ऐसे अपराध किए जाने की संभावना का मात्र ज्ञान ही पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, यदि पांच या अधिक सदस्य एके 47 राइफल लेकर सामूहिक रूप से किसी पीड़ित पर हमला करते हैं और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस तथ्य का कि सभा के एक या दो सदस्यों ने वास्तव में अपने हथियार नहीं चलाए, यह अर्थ नहीं है कि उन्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि हत्या का अपराध होने की संभावना है।"

29. इसलिए, जैसा कि यूनिस् उर्फ करिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 1 एससीसी 425 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, जब आरोप धारा 149 आईपीसी के तहत है तो किसी विशेष व्यक्ति पर कोई प्रत्यक्ष कार्य आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है; गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

30. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि वे प्रश्नगत अपराध में शामिल थे। अपीलकर्ता गरीब ग्रामीण हैं जो कृषि कार्य करते हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सामान्य कार्यवाही में 10-20 लोग थे, तो पुलिस कर्मियों या अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना संभव नहीं था और इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं को इस मामले में केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई स्पष्ट सबूत नहीं है और उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी



बनाया गया है जो एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। प्रत्यक्षदर्शी ने भी एफआईआर में सभी अभियुक्तगण का नाम नहीं लिया है और नामित अभियुक्तगण के ज्ञापन बयानों के आधार पर, अन्य आरोपियों को संबंधित अपराध में फंसाया गया है, इसलिए, घटनास्थल पर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है।³¹ आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में मामले पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2003) 3 एससीसी 641 के मामले में निम्नांकित टिप्पणी की है:

“342. षड्यंत्र के प्रश्न से निराकरण उचित होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी वह प्रावधान है जो आपराधिक षड्यंत्र हेतु दंड का प्रावधान करता है। धारा 120 ए में दी गई 'आपराधिक षड्यंत्र' की परिभाषा इस प्रकार है:

"120 ए-जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने या करने के लिए सहमत होते हैं।---

(1) एक अवैध कार्य, या

(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध साधनों द्वारा अवैध नहीं है, ऐसे समझौते को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है: परंतु कि अपराध करने के करार को छोड़कर कोई भी करार आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि करार के अलावा कोई कार्य ऐसे करार के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है। आपराधिक षड्यंत्र के तत्व इस प्रकार बताए गए हैं:

(क) पूरा किया जाने वाला उद्देश्य, (ख) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साधन वाली योजना या स्कीम, (ग) दो या दो से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों के बीच करार या समझ जिसके द्वारा वे करार में निहित साधनों द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। या किसी भी प्रभावी माध्यम से, तथा (घ) उस अधिकार क्षेत्र में जहां विधि को एक स्पष्ट कार्य की आवश्यकता थी। आपराधिक षड्यंत्र का सार अवैध संयोजन है और सामान्यतः अपराध तब पूरा हो जाता है जब संयोजन तैयार हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विधि ऐसा न कहे, तब तक षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तथा किसी अपराध को अभियोग योग्य बनाने के लिए संयोजन के उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। षड्यंत्र को अपराध बनाने वाला विधि, साधनों के संयोजन से प्राप्त होने वाली शरारत करने की अत्यधिक शक्ति को रोकने के लिए बनाया गया है। सह-षड्यंत्रकारी एक-दूसरे को जो प्रोत्साहन और सहायता देते हैं, जिससे ऐसे उपक्रम संभव हो जाते हैं, जिन्हें यदि व्यक्तिगत प्रयास पर छोड़ दिया जाता, तो असंभव हो जाता, वे षड्यंत्रकारियों और उकसाने वालों को उचित दंड देने का आधार प्रदान करते हैं। षड्यंत्र को उसके सभी सदस्यों के लिए जारी और नवीनीकृत माना जाता है, जब भी और जहां भी षड्यंत्र का कोई सदस्य सामान्य डिजाइन को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। (देखें: अमेरिकी न्यायशास्त्र खंड। द्वितीय धारा 23, पृ. 559)। धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधी स्पष्ट रूप से अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत हैं; करार को आवश्यक निहितार्थ द्वारा साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र का



अपराध अपराध करने के लिए करार पर आधारित है। षडयंत्र में केवल दो या अधिक लोगों का आशय ही नहीं होता, बल्कि दो या अधिक लोगों का गैरकानूनी तरीकों से गैरकानूनी कार्य करने के लिए करार भी होता है। जब तक इस तरह की योजना केवल आशय पर आधारित है, तब तक यह अभियोग योग्य नहीं है। जब दो लोग इसे कार्यान्वित करने के लिए सहमत होते हैं, तो षडयंत्र अपने आप में एक कार्य है, और प्रत्येक पक्ष का कार्य, वादा के विरुद्ध वादा, प्रतिकारात्मक कार्य, लागू किया जा सकता है, यदि वैध है, तो आपराधिक उद्देश्य के लिए या आपराधिक साधनों के उपयोग के लिए दंडनीय है। 343. इसमें कोई संदेह नहीं है कि षडयंत्र के मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है। अपराध के तत्व यह हैं कि जिन व्यक्तियों पर षडयंत्र करने का आरोप है, उनके बीच एक करार होना चाहिए और उक्त समझौता एक अवैध कार्य करने के लिए या अवैध साधनों से ऐसा कार्य करने के लिए होना चाहिए जो स्वयं अवैध न हो। अतः, आपराधिक षडयंत्र का सार एक अवैध कार्य करने के लिए एक करार है और इस तरह के समझौते को प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा साबित किया जा सकता है, और यह सामान्य अनुभव की बात है कि षडयंत्र साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं। अतः, अभियुक्त की मिलीभगत के बारे में निर्णय लेने के लिए घटना से पहले, उसके दौरान और बाद में साबित परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

346. यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 10 में "उनके सामान्य आशय के संदर्भ में" अभिव्यक्ति बहुत व्यापक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अंग्रेजी विधि में "के आगे बढ़ाने के लिए" शब्दों की तुलना में इसे व्यापक दायरा देने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है; जिसके परिणामस्वरूप, षडयंत्र रचे जाने के बाद, सह-षडयंत्रकारी द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, षडयंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले या उसके इसे छोड़ने के बाद दूसरे के खिलाफ सबूत होगी। कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात केवल एक सुसंगत तथ्य है।

".....ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ, जिसके बारे में माना जाता है कि वह ऐसा षडयंत्र कर रहा है, साथ ही षडयंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें एक पक्ष था"। "संक्षेप में, धारा का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: (1) प्रथम दृष्टया साक्ष्य न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करेगा कि दो या अधिक व्यक्ति किसी षडयंत्र के सदस्य हैं; (2) यदि उक्त शर्त पूरी हो जाती है, तो उनमें से किसी एक द्वारा अपने सामान्य आशय के संदर्भ में कही, की या लिखी गई कोई बात दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य होगी; (3) उसके द्वारा कही, की या लिखी गई कोई बात उसके द्वारा उनमें से किसी एक द्वारा आशय बनाए जाने के पश्चात कही, की या लिखी गई होनी चाहिए थी; (4) वह षडयंत्र में सम्मिलित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उक्त प्रयोजन के लिए सुसंगत होगी, चाहे वह बात उसके षडयंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व कही, की या लिखी गई हो या उसके षडयंत्र



छोड़ने के पश्चात, और (5) उसका प्रयोग केवल सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध ही किया जा सकता है, उसके पक्ष में नहीं।" (आकाशवाणी पृष्ठ 687, कंडिका 8)

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आपराधिक षड्यंत्र का प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्ष्य आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता है और इसका अस्तित्व अनुमान का विषय है। निष्कर्ष आम तौर पर षड्यंत्रकारियों के बीच एक सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में पक्षकार के कार्यों से निकाले जाते हैं। वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), [1980] 2 एससीसी 665 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना चाहिए जो यह दर्शाए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए करार हुआ था। किसी अपराध के बारे में षड्यंत्रकारियों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय में विचारों का मिलन होना चाहिए और जहां परिस्थितियों से षड्यंत्र के तथ्य का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि परिस्थितियां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए एक करार के निर्णायक या अपरिहार्य अनुमान को जन्म देती हैं। अन्य सभी आपराधिक अपराधों की तरह, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का अपना दायित्व का निर्वहन करना होता है। किसी मामले में परिस्थितियों को जब उनके प्रथम दृष्टया एक साथ लिया जाता है, तो यह संकेत मिलना चाहिए कि षड्यंत्रकारियों के बीच अवैध कार्य करने या अवैध साधनों द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए मनमुटाव था जो अवैध नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा यहां-वहां दिए गए कुछ अंशों को आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के साथ अभियुक्त को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। यह दर्शाया जाना चाहिए कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए सभी अवैध कार्य, रची गई षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए थे। निष्कर्ष निकालने के लिए जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, वे कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपराध के वास्तविक कमीशन से पहले की होनी चाहिए।

347. गोपनीयता और गोपनीयता, सार्वजनिक दृश्य के लिए खुले किसी ऊंचे स्थान पर जोर से चर्चा करने की तुलना में षड्यंत्र की अधिक विशेषताएं हैं। षड्यंत्र के सबूत में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं; षड्यंत्र का अपराध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के निर्माण की तिथि, षड्यंत्र के निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्तियों, षड्यंत्र के उद्देश्य के रूप में आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने सामने रखे गए उद्देश्य तथा षड्यंत्र के उद्देश्य को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना है, के बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता, ये सभी बातें अनिवार्यतः अनुमान पर आधारित होती हैं।

348. भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए तथा 120 बी के प्रावधानों ने भारत में षड्यंत्र के कानून को अंग्रेजी कानून के अनुरूप बना दिया है, क्योंकि जब षड्यंत्र किसी दंडनीय अपराध को करने के लिए किया जाता है तो प्रत्यक्ष कृत्य को अनावश्यक बना दिया जाता है। इस मामले में अंग्रेजी कानून सुस्थापित है। रसेल ऑन क्राइम (12 संस्करण खंड 1, पृष्ठ 202) पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है: "षड्यंत्र के अपराध का सार, कार्य करने में या जिस उद्देश्य के लिए षड्यंत्र बनाया जाता है उसे पूरा करने में नहीं है, न ही उन्हें करने का प्रयास करने में, न ही दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने में है, बल्कि पक्षकार के बीच



योजना या करार के निर्माण में है, सहमति आवश्यक है। योजना के बारे में केवल जानकारी या चर्चा ही पर्याप्त नहीं है।"

XXXXXX

351. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का आवश्यक घटक अपराध करने के लिए सहमति है। ऐसे मामले में जहां समझौता किसी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए है जो अपने आप में एक अपराध है, तो उस स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य साबित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में, ऐसे समझौते को साबित करके आपराधिक षड्यंत्र स्थापित किया जाता है। जहां अभिकथित षड्यंत्र धारा 120 बी में परिकल्पित प्रकृति के गंभीर अपराध के कारित करने के संबंध में है, जिसे धारा 120 ए की उपधारा (2) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए, तो उस स्थिति में ऐसे अपराध के कारित करने के लिए अभियुक्तों के बीच केवल करार का सबूत ही धारा 120 बी के तहत दोषसिद्धि लाने के लिए पर्याप्त है और अभियुक्त या उनमें से किसी एक द्वारा किसी प्रत्यक्ष कार्य का सबूत आवश्यक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रावधानों में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि षड्यंत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को षड्यंत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए, आवश्यक घटक षड्यंत्रकारियों के बीच अपराध करने के लिए एक समझौता है और यदि ये आवश्यकताएं और घटक सिद्ध होते हैं, तो यह कार्य धारा 120 बी में निहित प्रावधानों के दायरे में आएगा। देखें: सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1994) एससी 2420

352. षड्यंत्र खुले तौर पर नहीं रचे जाते हैं, उनकी प्रकृति से, वे गुप्त रूप से योजनाबद्ध होते हैं, उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है, षड्यंत्र से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी का कोई परिणाम नहीं होता है। देखिए: ई. के. चंद्रसेनन बनाम केरल राज्य, आकाशवाणी (1995) एससी 1066।

353. केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 1883 में पी. 1954, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"275. आम तौर पर, एक षड्यंत्र गोपनीयता में रची जाती है तथा इसका सीधा साक्ष्य देना मुश्किल हो सकता है। अभियोजन पक्ष अक्सर विभिन्न पक्षों के कृत्यों के साक्ष्य पर निर्भर करेगा ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वे उनके सामान्य आशय के संदर्भ में किए गए थे। अभियोजन पक्ष अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी निर्भर करेगा। इस तरह के प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से षड्यंत्र निस्संदेह साबित हो सकती है। परंतु न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं या वे विधि विरुद्ध उद्देश्य की खोज में एक साथ आए हैं। पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता है, लेकिन दूसरा उन्हें षड्यंत्रकारी बनाता है। हालांकि, यह आवश्यक है कि षड्यंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो। हालांकि, स्पष्ट सहमति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही दो व्यक्तियों की वास्तविक मुलाकात आवश्यक है। न ही संचार के वास्तविक शब्दों को साबित करना आवश्यक है। विधि विरुद्ध योजना को साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में सबूत पर्याप्त हो



सकते हैं। “षड्यंत्र को परिस्थितियों और अन्य सामग्रियों से साबित किया जा सकता है।देखिए:बिहार राज्य बनाम परमहंस यादव, (1986) पट एलजेआर 688 (एचसी)।”षड्यंत्र का आरोप सिद्ध करने के लिए किसी अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा किसी वैध कार्य में लिप्त होने के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ मामलों में, विचाराधीन वस्तुओं या सेवाओं के अवैध उपयोग के इरादे का अनुमान ज्ञान से ही लगाया जा सकता है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित नहीं करना है कि किसी विशेष अवैध उपयोग का आशय था, जब तक कि विचाराधीन वस्तुओं या सेवाओं का किसी वैध उपयोग में उपयोग नहीं किया जा सकता है।अंततः, जब अंतिम अपराध में कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होती है, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा कि, षड्यंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए, प्रत्येक षड्यंत्रकारी को इस बात का ज्ञान था कि सहयोगी क्या करने वाला है, जब तक कि यह ज्ञात हो कि सहयोगी माल या सेवा का अवैध उपयोग करेगा।देखिए:महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा, जे. टी. 1996 4 एस. सी. 615

354. यह देखा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ए और 120-बी ने भारत में षड्यंत्र के कानून को अंग्रेजी कानून के अनुरूप बना दिया है, क्योंकि जब षड्यंत्र किसी दंडनीय अपराध को अंजाम देने के लिए किया जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्य को अनावश्यक बना दिया जाता है। अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने के लिए सहमति है। ऐसे मामले में जहां आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया जाता है, अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं या वे गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आए हैं।पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता, लेकिन दूसरा उन्हें षड्यंत्रकारी बनाता है। षड्यंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति स्थापित करना आवश्यक है। व्यक्त सहमति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।विधि विरुद्ध कार्य को साझा करने वाले विचारों के संचरण के बारे में सबूत पर्याप्त नहीं हैं। षड्यंत्र एक निरंतर अपराध है जो तब तक जारी रहता है जब तक कि इसे निष्पादित या रद्द नहीं किया जाता है या आवश्यकता के अनुसार विफल नहीं किया जाता है।इसके अस्तित्व के दौरान जब भी कोई षड्यंत्रकारी कोई कार्य या कार्यों की श्रृंखला करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया जाएगा।”

32. इसके अतिरिक्त, किसी परिस्थिति को एक सच्चे साक्षी के माध्यम से साबित किया जा सकता है, जिसकी गवाही पूरी तरह से विश्वास पैदा करने वाली हो।अभिलेख पर उपलब्ध प्रचुर साक्ष्य के साथ साक्षी की गुणवत्ता और मात्रा ही मायने रखती है और इस संबंध में, **ताखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंह और अन्य (2001) 6 एससीसी 145** में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद नौशाद बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) में एआईआर ऑनलाइन 2023 एससी 547 में रिपोर्ट की गई, आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में षड्यंत्र के विवाद्यक से निराकरण करते हुए, कंडिका 35 से 37 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:---



"35. षड्यंत्र एक प्रमुख आरोप है, हम अभियुक्तगण के बीच षड्यंत्र के बिंदु पर विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हैं, हम केहर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1988) 3 एससीसी 609 (3-न्यायाधीश पीठ) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था:

"271. बलबीर सिंह के खिलाफ अन्य मामलों पर विचार करने से पहले, आईपीसी की धारा 120-ए और 120-बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र की अवधारणा पर विचार करना उपयोगी होगा। इन प्रावधानों ने भारत में षड्यंत्र के विधि को अंग्रेजी कानून के अनुरूप बना दिया है, क्योंकि जब षड्यंत्र किसी दंडनीय अपराध को अंजाम देने के लिए की जाती है तो प्रत्यक्ष कार्यवाही को अनावश्यक बना दिया जाता है। इस मामले में अंग्रेजी विधि सुस्थापित है। रसेल ऑन क्राइम (12 वां संस्करण, खंड 1, पृष्ठ 202) से निम्नलिखित अंश उपयोगी रूप से नोट किया जा सकता है: "षड्यंत्र के अपराध का सार, कार्य करने या उस उद्देश्य को पूरा करने में नहीं है जिसके लिए षड्यंत्र बनाया गया है, न ही उन्हें करने का प्रयास करने में, न ही दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने में, बल्कि पक्षों के बीच योजना या समझौते के निर्माण में निहित है। सहमति आवश्यक है। योजना के बारे में केवल जानकारी या चर्चा ही पर्याप्त नहीं है।"

272. ग्लेनविले विलियम्स ने क्रिमिनल लॉ (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 382) में एक उदाहरण के साथ प्रस्ताव को समझाया है: "यह सवाल आयोवा के एक मामले में उठा था, लेकिन इस पर षड्यंत्र के बजाय सहायकता के संदर्भ में चर्चा की गई थी। डी, जिसे पी के खिलाफ शिकायत थी, ने ई से कहा कि अगर वह पी को कोड़े मारेगा तो कोई उसका जुर्माना भर देगा। ई ने जवाब दिया कि वह नहीं चाहता कि कोई उसका जुर्माना भरे, उसे पी के खिलाफ अपनी शिकायत है और वह पहले अवसर पर उसे कोड़े मार देगा। ई कोड़े मारे गए पी. डी. को षड्यंत्र 90 से बरी कर दिया गया क्योंकि 'कॉन्सर्ट ऑफ एक्शन' हेतु कोई समझौता नहीं था, 'सहयोग' हेतु कोई करार नहीं था।"

273. कॉलरिज, जे., रेजिना बनाम मर्फी [173 ई. आर. 508] (173 इंग. रिपोर्ट 508) विशेष रूप से कहता है: "मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूँ कि यद्यपि आरोप का मूल समान डिजाइन है, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ये दोनों पक्ष एक साथ आए और वास्तव में इस समान योजना को रखने और समान तरीकों से इसे आगे बढ़ाने और इस तरह इसे अंजाम देने के लिए सहमत हुए। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबसे स्पष्ट रूप से स्थापित षड्यंत्रों के कई मामलों में ऐसी किसी भी बात को साबित करने का कोई साधन नहीं है, और न ही कानून और न ही सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है कि इसे साबित किया जाना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि इन दो व्यक्तियों ने अपने कार्यों द्वारा एक ही उद्देश्य का पीछा किया, अक्सर एक ही साधनों का उपयोग करते हुए, एक कार्य के एक हिस्से को पूरा करने के लिए, जिस उद्देश्य का वे पीछा कर रहे थे, उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से, आप यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक षड्यंत्र में लगे हुए हैं। आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि, 'क्या उनकी यह सामान्य योजना थी, और क्या उन्होंने इसे इन सामान्य तरीकों से आगे बढ़ाया - जबकि यह योजना विधि विरुद्ध थी?'



274. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि षड्यंत्र के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने के लिए सहमति है। अवैध कार्य सहमति के अनुसरण में किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सहमति ही अपराध है और दंडनीय है। भा.दं. सं. की धारा 120-ए और 120-बी का संदर्भ इन पहलुओं को संदेह से परे स्पष्ट कर देगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा वैध कार्य करने के लिए करार करना षड्यंत्र के अपराध का सार है।

275. आम तौर पर, षड्यंत्र गुप्त रूप से रचा जाता है और इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है। अभियोजन पक्ष अक्सर विभिन्न पक्षों के कृत्यों के साक्ष्य पर निर्भर करेगा ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वे उनके सामान्य आशय के संदर्भ में किए गए थे। अभियोजन पक्ष अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी निर्भर करेगा। इस तरह के प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से षड्यंत्र निस्संदेह साबित हो सकती है। परंतु न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं या वे विधि विरुद्ध उद्देश्य की खोज में एक साथ आए हैं। पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता, लेकिन दूसरा उन्हें षड्यंत्रकारी बनाता है। हालांकि, यह आवश्यक है कि षड्यंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो। हालांकि, स्पष्ट सहमति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही दो व्यक्तियों का वास्तविक मिलना आवश्यक है। न ही संचार के वास्तविक शब्दों को साबित करना आवश्यक है। विधि विरुद्ध योजना को साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में सबूत पर्याप्त हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के केंटरबरी विश्वविद्यालय के गेराल्ड ऑर्चर्ड इस प्रस्ताव की सीमित प्रकृति की व्याख्या करते हैं [1974 अपराधिक विधि पुनर्विलोकन 297,299]

"यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध के लिए सहमति की कुछ भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, फिर भी इस प्रस्ताव की सीमित प्रकृति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। विधि में यह आवश्यक नहीं है कि करार का कार्य कोई विशेष रूप ले तथा करार के तथ्य को शब्दों या आचरण द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि यह साबित करना अनावश्यक है कि पक्षकार वास्तव में एक साथ आए थे और विधि विरुद्ध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए शर्तों पर सहमत हुए थे; कोई स्पष्ट मौखिक समझौता कभी नहीं हुआ, यह पर्याप्त है कि 'षड्यंत्रकारियों के बीच इस बात को लेकर मौन सहमति थी कि क्या किया जाना चाहिए'।" 276. मैं इस राय से सहमत हूँ, लेकिन जल्दी से यह जोड़ना चाहता हूँ कि पक्षों के सापेक्ष कार्य या आचरण कर्तव्यनिष्ठ और स्पष्ट होने चाहिए ताकि यह पता चले कि क्या किया जाना चाहिए। सहमति का अनुमान असंगत तथ्यों के समूह से नहीं लगाया जा सकता है, जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वे सुसंगति का आभास देते हों। अहानिकर, निर्दोष या अनजाने में घटित घटनाओं और घटनाओं को न्यायिक फैसले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए।

277. यह सुझाव दिया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत, भारत में षड्यंत्र के सबूत में साक्ष्य की प्रासंगिकता अंग्रेजी कानून की तुलना में व्यापक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 ने एजेंसी के



सिद्धांत को पेश किया और यदि इसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो किसी एक द्वारा किए गए कार्य सह-षड्यंत्रकारियों के खिलाफ स्वीकार्य हैं। धारा 10 में लिखा है:

“10. जहां यह मानने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अपराध या अनुयोज्य दोष को करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा अपने सामान्य आशय के संदर्भ में कही, की या लिखी गई कोई बात, उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक द्वारा पहली बार मन में लाया गया था, ऐसे षड्यंत्र करने वाले माने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है, साथ ही षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के प्रयोजनार्थ और यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार था।”

xxx

280. मिर्जा अकबर मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले [एआईआर 1940 पीसी 176, 180] को सरदुल सिंह कैवेशर बनाम बॉम्बे राज्य [(1958) एससीआर 161, 193] में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है, जहां जगन्नाथदास, न्यायाधीश ने कहा:

(एससीआर पृष्ठ 193) “साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत षड्यंत्र के मामलों में साक्ष्य की स्वीकार्यता की सीमाएं मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर [एआईआर 1940 पीसी 176, 180] में प्रिवी काउंसिल द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित की गई हैं। उस मामले में, प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार की जानी चाहिए कि जो कुछ किया गया, चाहे वह लिखा गया हो या बोला गया हो, वह षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए किया गया था और षड्यंत्र के सबूत के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत प्राप्त होने वाले साक्ष्य ‘ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई किसी भी बात’ (अर्थात्, षड्यंत्रकारियों) को ‘उनके सामान्य आशय के संदर्भ में’ होना चाहिए। लेकिन विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि संदर्भ में (उपर्युक्त वाक्यांश के आयाम के बावजूद) उसमें दिए गए शब्दों को ऊपर बताए गए सुप्रसिद्ध सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है।”

36. इसके अलावा, राज्य पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी एवं अन्य (1999) 5 एससीसी 253 (3 न्यायाधीशों की पीठ) में, इस न्यायालय षड्यंत्र के विधि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को हटा दिया, हालांकि प्रकृति में संपूर्ण, तथा अभिनिर्धारित किया:

“581. यह सत्य है कि धारा 10 में निहित प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित साक्ष्य के नियम से विचलन है। धारा 10 के तहत साक्ष्य की स्वीकार्यता पर दो आपत्तियाँ हो सकती हैं और वे हैं (1) जिस षड्यंत्रकारी का साक्ष्य सह-षड्यंत्रकारी के खिलाफ स्वीकार किया जाना है, उसका सह-षड्यंत्रकारी द्वारा न्यायालय में सामना या प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है और (2) अभियोजन पक्ष केवल यह मानने के लिए



उचित आधार के अस्तित्व को साबित करता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने की षड्यंत्र रची है और यह सह-षड्यंत्रकारी को फंसाने के लिए एजेंसी संबंध के अस्तित्व को लागू करता है। लेकिन तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत, एक षड्यंत्रकारी का बयान एक सह-षड्यंत्रकारी के खिलाफ इस आधार पर स्वीकार्य है कि यह संबंध मौजूद है। अभियोजन पक्ष को, निस्संदेह, धारा 10 के लागू होने के लिए षड्यंत्र के अस्तित्व के बारे में स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, लेकिन उसे उचित संदेह से परे इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र एक साझेदारी करार है और प्रत्येक षड्यंत्र में एक सामान्य उद्देश्य के निष्पादन के लिए एक संयुक्त या पारस्परिक एजेंसी होती है जो एक अपराध या कार्यवाही योग्य त्रुटिपूर्ण है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो उनमें से किसी एक द्वारा समझौते के अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य, विधि की दृष्टि में, उन दोनों का कार्य होता है और वे इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा अपने सामान्य आशय के निष्पादन में या उसके संदर्भ में कही गई, लिखी गई या की गई हर बात को उन दोनों में से प्रत्येक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई मानी जाएगी। हालांकि, षड्यंत्रकारी, पूर्वोक्त षड्यंत्र की समाप्ति के बाद षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, न्यायालय को सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध षड्यंत्रकारी के कथन को सहजता से स्वीकार करने से बचना चाहिए। खतरनाक आपराधिक संयोजनों से निपटने के लिए धारा 10 एक विशेष प्रावधान है। साक्ष्य का सामान्य नियम जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत एक सह-अभियुक्त के बयान को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकता है, उस अधिनियम की धारा 10 के मद्देनजर षड्यंत्र के मुकदमे में लागू नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि न्यायालय को सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध षड्यंत्रकर्ता के बयान को तुरंत स्वीकार करने से बचना चाहिए, तो हमारा मतलब है कि न्यायालय सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए कुछ पुष्टिकरण की तलाश करती है। यह विधि का नियम नहीं है, बल्कि विधि की सीमा पर विवेक का नियम है। सब कुछ कहने और करने के बाद, अंततः यह सबूतों की सराहना है जिस पर अदालत को आगे बढ़ना है।

582. भगवानदास केशवानी बनाम राजस्थान राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 611, 613:1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 647] (पृष्ठ 613 पर एस. सी. सी.), इस न्यायालय ने कहा कि षड्यंत्र के मामलों में षड्यंत्र के अनुसरण में सह-षड्यंत्रकर्ताओं के कार्यों तथा बयानों से बेहतर साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध हो।

583. षड्यंत्र के कानून को नियंत्रित करने वाले कुछ व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, हालांकि, जैसा कि नाम से पता चलता है, सारांश सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण नहीं हो सकता है।

1. धारा 120-ए आईपीसी के तहत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अवैध कार्य या कानूनी कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। जब यह अवैध तरीकों से किया गया कोई कानूनी कार्य हो तो प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सामान्य विधि का अपवाद है, जहां केवल आशय से अपराध नहीं बनता है।



अपराध करने का आशय और उसी आशय वाले लोगों से हाथ मिलाना अपराध है। न केवल आशय बल्कि आशय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहमति भी होनी चाहिए, जो एक अपराध है। किसी मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि

क्या सभी अभियुक्तों का आशय थी और क्या वे इस बात पर सहमत थे कि अपराध किया जाए। षडयंत्र के अपराध के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि कुछ अभियुक्तों ने केवल यह इच्छा जताई हो, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो, कि अपराध किया जाए।

2. षडयंत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद किए गए कार्य यह साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई विशेष अभियुक्त षडयंत्र में भागीदार था। एक बार षडयंत्र का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, कोई भी बाद का कार्य, जो गैरकानूनी हो सकता है, अभियुक्त को षडयंत्र का हिस्सा नहीं बनाएगा, जैसे किसी भगोड़े को शरण देना।

3. षडयंत्र निजी या गुप्त रूप से रची जाती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा षडयंत्र को स्थापित करना शायद ही कभी संभव हो। आमतौर पर, षडयंत्र के अस्तित्व और उसके उद्देश्यों दोनों का अनुमान परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण से लगाया जाना चाहिए।

4. उदाहरण के लिए, षडयंत्रकारियों को एक श्रृंखला में नामांकित किया जा सकता है - ए, बी को नामांकित करता है, बी, सी को नामांकित करता है, और इसी प्रकार; और सभी एक ही षडयंत्र के सदस्य होंगे यदि वे ऐसा चाहते हैं और सहमत होते हैं, भले ही प्रत्येक सदस्य केवल उस व्यक्ति को जानता हो जिसने उसे नामांकित किया है और जिसे वह नामांकित करता है। एक तरह का अम्ब्रेला-स्पोक नामांकन हो सकता है, जहां केंद्र में एक ही व्यक्ति नामांकन करता है और अन्य सभी सदस्य एक-दूसरे से अनजान होते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि अन्य सदस्य भी होंगे। ये सिद्धांत हैं और व्यवहार में यह बताना मुश्किल हो सकता है कि किसी विशेष मामले में कौन सी षडयंत्र किस श्रेणी में आती है। हालांकि, यह अतिव्याप्त भी हो सकता है। लेकिन तब आपसी हित मौजूद होना चाहिए। व्यक्ति एक ही षडयंत्र के सदस्य हो सकते हैं, भले ही उनमें से प्रत्येक को अन्य कई लोगों की पहचान के बारे में पता न हो, जिनकी भूमिकाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। षडयंत्र के अपराध का यह हिस्सा नहीं है कि सभी षडयंत्रकारियों को एक ही या सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहमत होना आवश्यक है।

5. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति षडयंत्र का अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसके लिए कोई योजना बनाने या विचार करने के बावजूद, और इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, समझौते में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है। इस प्रकार दो षडयंत्रकर्ता होने चाहिए और इससे अधिक भी हो सकते हैं। षडयंत्र के आरोप को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इच्छित अपराध किया गया



था या नहीं। यदि किया गया है तो यह अभियोजन पक्ष को षड्यंत्र के आरोप को साबित करने में और मदद कर सकता है।

6. यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारी एक ही समय में एक ही उद्देश्य के लिए सहमत होना चाहिए। वे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति से पहले किसी भी समय अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हो सकते हैं, और सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। प्रत्येक षड्यंत्रकारी को क्या भूमिका निभानी है, यह सभी को पता नहीं हो सकता है या यह तथ्य कि षड्यंत्रकारी कब षड्यंत्र में शामिल हुआ और कब उसने छोड़ा।

7. षड्यंत्र का आरोप अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है क्योंकि यह उन्हें एक संयुक्त परीक्षण के लिए मजबूर करता है तथा न्यायालय प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ सबूतों के पूरे समूह पर विचार कर सकती है। अभियोजन पक्ष को न केवल यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने होंगे कि प्रत्येक अभियुक्त को षड्यंत्र के उद्देश्य के बारे में जानकारी है, बल्कि करार के बारे में भी जानकारी है। षड्यंत्र के आरोप में न्यायालय को अभियुक्तों के साथ अन्याय के खतरे से स्वयं को बचाना होगा। कुछ के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने से सभी को दोषी ठहराया जा सकता है, जिससे बचना चाहिए। षड्यंत्र में साक्ष्य के माध्यम से, जो अन्यथा किसी अन्य मूल अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य है, अभियोजन पक्ष न केवल षड्यंत्र में बल्कि कथित षड्यंत्रकारियों के मूल अपराध में भी अभियुक्त को फंसाने की कोशिश करता है। षड्यंत्र के प्रत्येक सदस्य के सटीक योगदान का पता लगाने में हमेशा कठिनाई होती है, लेकिन फिर षड्यंत्र के अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध ठोस तथा विश्वसनीय साक्ष्य होना चाहिए। जैसा कि न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने कहा, "यह अंतर आज महत्वपूर्ण है, जब कई अभियोजक षड्यंत्र के जाल में उन सभी लोगों को फंसाना चाहते हैं, जो किसी भी हद तक मुख्य अपराधियों से जुड़े रहे हैं।"

8. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह विधि विरुद्ध समझौता है, न कि इसकी उपलब्धि, जो षड्यंत्र के अपराध का सार या सार है। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पूरा हो जाता है, भले ही इस बात पर कोई करार न हो कि उद्देश्य को किस तरह पूरा किया जाना है। यह विधि विरुद्ध करार है जो षड्यंत्र के अपराध का मुख्य आधार है। विधि विरुद्ध करार जो षड्यंत्र के बराबर है, उसे औपचारिक या स्पष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परिस्थितियों, विशेष रूप से षड्यंत्रकारियों की घोषणाओं, कृत्यों और आचरण से निहित और अनुमानित हो सकता है। करार सभी पक्षों द्वारा एक ही समय में किए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि षड्यंत्र में उनके शामिल होने का सबूत देने वाली क्रमिक कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है।

9. यह कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र अपराध में भागीदारी है, और प्रत्येक षड्यंत्र में एक सामान्य योजना के अभियोजन के लिए एक संयुक्त या पारस्परिक एजेंसी होती है। इस प्रकार, यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो उनमें से किसी के द्वारा करार के अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य, विधि की दृष्टि में, उनमें से प्रत्येक का कार्य होगा और वे इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी षड्यंत्रकर्ता द्वारा सामान्य उद्देश्य के निष्पादन या आगे बढ़ाने में कही



गई, लिखी गई या की गई हर बात को उनमें से प्रत्येक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई मानी जाएगी। और यह संयुक्त जिम्मेदारी न केवल मूल करार के अनुसरण में किसी भी षड्यंत्रकर्ता द्वारा किए गए कार्यों तक फैली हुई है, बल्कि मूल उद्देश्य से संबंधित और उससे आगे बढ़ने वाले संपार्श्विक कार्यों तक भी फैली हुई है। हालांकि, षड्यंत्रकर्ता षड्यंत्र की समाप्ति के बाद सह-षड्यंत्रकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी नए सदस्य द्वारा षड्यंत्र में शामिल होने से न तो कोई नया षड्यंत्र बनता है और न ही इससे अन्य षड्यंत्रकारियों की स्थिति में कोई बदलाव आता है, और केवल यह तथ्य कि षड्यंत्रकारी व्यक्तिगत रूप से या समूहों में एक सामान्य लक्ष्य के लिए अलग-अलग कार्य करते हैं, किसी षड्यंत्र को कई अलग-अलग षड्यंत्रों में विभाजित नहीं करता है।

10. कोई व्यक्ति शब्दों या कर्मों द्वारा षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। हालांकि, किसी षड्यंत्र के लिए आपराधिक जिम्मेदारी के लिए मौजूदा षड्यंत्र के प्रति केवल निष्क्रिय रवैये से अधिक की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति षड्यंत्र के बारे में जानते हुए भी कोई प्रत्यक्ष कार्य करता है, वह दोषी है। और जो व्यक्ति षड्यंत्र के उद्देश्य को मौन सहमति देता है और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर काम करता है, तथा जब अन्य लोग षड्यंत्र को कार्यान्वित कर रहे होते हैं, तब वह मूकदर्शक बनकर खड़ा रहता है, वह दोषी है, यद्यपि उसका अपराध में कोई सक्रिय भाग लेने का आशय नहीं होता।"

37. अंत में, एंशर सिंह बनाम ए. पी. राज्य, (2004) 11 एस. सी. सी. 585, (2-न्यायाधीश पीठ) में, इस न्यायालय ने कहा:

"किसी मामले में परिस्थितियों को जब उनके प्रथम दृष्टया एक साथ लिया जाता है, तो यह संकेत मिलना चाहिए कि षड्यंत्रकारियों के बीच अवैध कार्य करने या अवैध साधनों द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए मनमुटाव था जो अवैध नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा यहां-वहां कुछ अंशों पर भरोसा किया जाता है, जिन्हें अभियुक्त को आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए अवैध कार्य, रची गई षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए थे। निष्कर्ष निकालने के लिए जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, वे कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपराध के वास्तविक कमीशन से समय के मामले में पहले की होनी चाहिए।"

39. गोपनीयता और गोपनीयता, सार्वजनिक दृश्य के लिए खुले किसी ऊंचे स्थान पर जोर से चर्चा करने की तुलना में षड्यंत्र की अधिक विशेषताएं हैं। षड्यंत्र के सबूत में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं; षड्यंत्र का अपराध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के निर्माण की तिथि, षड्यंत्र के निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्तियों, षड्यंत्र के उद्देश्य के रूप में आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने सामने रखे गए उद्देश्य तथा षड्यंत्र के उद्देश्य को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना है,



के बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता, ये सभी बातें अनिवार्यतः अनुमान का विषय हैं।"

34. जहां तक विचाराधीन अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का प्रश्न है, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती देवली कोराटिया (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के साथ-साथ मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक अर्थात् डॉ. मनोज किशोर (पीडब्लू-30) के साक्ष्य पर आधारित है।

35. श्रीमती देवली कोराटिया (पीडब्लू-1) ने पुष्टि की है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दादूसिंह कोराटिया की असामयिक मृत्यु की सूचना मिलने पर मृत्यु सूचना (एक्स.पी/1) और ग्रामीण शिकायत (एक्स.पी/4) दर्ज की गई। उन्होंने आगे बताया कि घटना 2004 में संबलपुर में हुई थी, उस समय दादूसिंह कोराटिया संबलपुर के सरपंच थे और वे कोण्डे गांव में रहते थे उन्होंने पुडो मिच गांव के धनीराम की 13 वर्षीय बेटी सत्या को अपनी बेटी के रूप में गोद लिया था। घटना दिनांक को शाम करीब साढ़े सात बजे दो व्यक्ति एक बच्चे को लेकर उसके घर के शेड पर आए और उसे बहन कहकर बुलाया और कहा कि बच्चे के लिए दवाई चाहिए क्योंकि बच्चा साइकिल से गिर गया है। तब उसने उन दोनों से पूछा कि वे गांव घमरे के नहीं लगते और इसी बीच उन्होंने उसके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि घर पर पट्टी नहीं है और वे अस्पताल जाएंगे। जैसे ही उसका पति शेड से बाहर आ रहा था तो एक व्यक्ति जो 25 साल का था और उसके पति के बाईं तरफ खड़ा था, ने उसकी कमर पर हमला कर दिया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली तथा हमला करना शुरू कर दिया जब उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा। उसका पति भागकर मंदिर की सीढ़ियों से छत पर चला गया और उसके बाईं ओर उसका 25 वर्षीय बेटा उसके पीछे भागने लगा और उसका पति मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसी बीच उक्त व्यक्ति ने उसके पति को तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी। दूसरा व्यक्ति और बच्चा दाईं ओर भागे जहां आरोपी सुन्हेर पुडो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोरम, सुकल यादव, दलसु राम पुडो सहित 10-12 अन्य लोग खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि "लाल सलाम जिंदाबाद, माओवादी जिंदाबाद और दादूसिंह आरएसएस का गुंडा था और उसे ऐसे ही मरना चाहिए"।

36. श्रीमती देवली कोराटिया (पीडब्लू-1) ने अपने कथन में आगे बताया कि घटना के लगभग 10 मिनट बाद वह और सत्या मंदिर के पीछे गए तो देखा कि उनके पति खून से लथपथ पीठ के बल पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद वे रोते हुए अपने घर के अंदर आए और कुछ देर बाद पड़ोसी शांति साहू, रुखा राम नेताम, चंपा, महात, बोधन साहू, संजय, हरेंद्र, गेंदू साहू, धरम यादव, मेहतरू पटेल आदि आए और उन्होंने अपनी भतीजी राकेश्वरी पुजारी को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उनकी भतीजियों ने फोन पर पुलिस थाने को घटना की जानकारी दी। सुबह 6.00-6.30 बजे वह और उसकी भतीजी तथा सत्या अपने पति के पास गए तो देखा कि उनके सिर के बाएं कनपटी पर धारदार हथियार से गहरा घाव का निशान था तथा बाएं हाथ की कलाई पर चोट थी तथा बाएं कोहनी पर धारदार हथियार से चोट थी। उसके पति के शरीर पर काफी चोट थी तथा खून फैला हुआ था। उसने यह भी बयान दिया कि मंदिर परिसर में कई नक्सली पर्चे थे, हस्तलिखित पर्चे, लाल कपड़े के चार नक्सली बैनर, जिसमें लिखा था कि दादू जनता का दुश्मन है, वह आरएसएस का प्रचारक है, जो जन अदालत में मारा गया, उक्त बैनरों पर लाल सलाम जिंदाबाद, माओवादी



जिंदाबाद लिखा था और उसे उसके पति के पास फेंक दिया गया था, जिसमें लिखा था कि दादूसिंह जनता का दुश्मन है, वह आदिवासी लोगों से ब्राह्मण धर्म अपनाने को कहता है।

37. डॉ. मनोज किशोर (पी.डब्ल्यू.-30) ने मृतक दादूसिंह कोरटिया के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 28.08.2019 को किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/38) दी और निम्नलिखित चोटें पाई:---

बाह्य परीक्षण- मृतक पीला व ठण्डा था, बिग बॉस कम्पनी का ग्रे टी-शर्ट व भूरा काला अंडरवियर पहना हुआ था, गहरे रंग का पैंट पहना हुआ था तथा शव के कलाई पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था तथा गले में लाल रंग के धागे में बंधी लकड़ी की माला थी, मृतक का सिर सीधा था तथा दोनों आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर नहीं थी, दोनों पैर मुड़े हुए थे, दाहिना हाथ मुड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ की कलाई आगे की ओर मुड़ी हुई थी, बायां हाथ भी आगे की ओर मुड़ा हुआ था। मृतक का सम्पूर्ण शरीर अकड़ गया था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई-

1. दाहिने गाल पर 2 सेमी x 0.3 सेमी माप का घाव था।
2. बाएं टेम्पोरल लैंकेशन का माप 6.3 सेमी x 1.5 सेमी x 5 सेमी है, जिसमें सिर के अंदर से सामग्री बाहर निकली हुई है और बाएं टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर है, जिसमें रक्तस्राव के निशान हैं।
3. बाएं हाथ पर 7 x 4 सेमी का कट का निशान।
4. बाएं कोहनी पर 4 x 1.6 सेमी का घर्षण निशान।
5. बाएं सीने पर 1.7 x 1 सेमी का फटा हुआ घाव।
6. कूल्हे के नितम्ब में 2.4 x 1.4 सेमी का कट का निशान।
7. दाहिने कूल्हे के नीचे 1.6 x 1.2 सेमी माप का कट का निशान।
8. बाएं जांघ के आगे के हिस्से पर 3 x 1.9 सेमी माप का कट का निशान।
9. बाएं घुटने पर 4 x 1.5 सेमी माप का घर्षण का निशान।
10. बाएं कलाई पर कट का निशान 4 x 1.8 सेमी आकार का था।

मृतक के शरीर पर बाएं फेफड़े के ऊपरी लोब पर 2.8 x 1.9 x 1.8 सेमी माप का एक गोली का प्रवेश घाव था जो स्टर्नल क्षेत्र से ऊपर की ओर फैली हुई थी और ऊपरी त्वचा, चमड़े के नीचे के ऊतक, अंतर्निहित मांसपेशी, पसली, फुस्फुस, फेफड़े और पसली की मांसपेशी से जुड़ी फुस्फुस से होकर गुजर रही थी और निकास बिंदु 3.2 x 1.8 सेमी माप का था जो ओसीसीपिटल प्रोट्यूबेरेंस पर 30.4 सेमी था। प्रवेश और निकास चोट पथ पर खून के निशान थे, छाती थक्केदार खून से भरी हुई थी। बायीं जांघ के पीछे 2.5 x 2 सेमी माप का गोली का घाव था, निशान बायीं एड़ी से 83.8 सेमी दूर था, जिस पर 0.5 □ 0.7 मिमी माप के कटे



हुए निशान थे, गोली का रास्ता ऊपर और आगे की ओर था, रास्ते में त्वचा, उपशीर्षक ऊतक, मांसपेशियों को पार करते हुए बाएं श्रोणि के माध्यम से बाहर निकल गया, निकास घाव 3.8 x 2.4 सेमी माप का था, निकास घाव एड़ी से 93.9 सेमी दूर था, रास्ते में पूरे खून के धब्बे थे। आंतरिक परीक्षण- बायीं टेम्पोरल अस्थि टूटी हुई थी, डायफ्राम, पसलियाँ और कोमल ऊतक, स्वरयंत्र और श्वासनली पीली और सामान्य थी। मृतक के हृदय का बायाँ भाग खाली था और दाएँ भाग में थोड़ी मात्रा में रक्त मौजूद था। मृतक की आंत की झिल्ली, मुँह और ग्रासनली पीली और सामान्य थी। छोटी आंत में आधा पचा हुआ भोजन और बड़ी आंत में मल था। मृतक का लीवर, सीकम, किडनी, आंतरिक और बाहरी जननांग पीले और सामान्य थे। मृतक के शरीर पर सभी चोटें मौत से पहले की थीं। मृतक के शरीर पर मिले कपड़ों में से उसने पाया- 1 हरे रंग की कॉलर वाली टी-शर्ट, जिस पर चार डेंट थे, जो टी-शर्ट के दाईं ओर 2 सेमी आकार का गोल निशान था और टी-शर्ट के पीछे की तरफ बीच में 2.4 सेमी का निशान था। टी-शर्ट के सामने की तरफ बाईं ओर एक गोल निशान था जो 3 सेमी आकार का था और टी-शर्ट के बाईं ओर एक गोल निशान था जो 1.5 सेमी आकार का था। उन्होंने इन सभी निशानों को नीले रंग की स्याही से चिह्नित किया था और ए.बी.सी.डी. लिखा था। मृतक के अंडरवियर में चार और पैंट में 6 डेंट के निशान थे। इसके अलावा उन्होंने एंटी घाव का नमूना, निकास घाव का नमूना और रासायनिक परीक्षण की सलाह के साथ नियंत्रण नमूना सील कर दिया था।

राय- मृतक की मौत सिर में चोट और सीने में गोली लगने से हुई, सभी चोटें मौत से पहले लगी थीं। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। मृतक की मौत का समय शव परीक्षण से 14 से 22 घंटे पहले का प्रतीत होता है।"

38. इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती देवली कोराटिया (पीडब्लू-1) के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के समय, उनकी दत्तक पुत्री सुश्री सत्या पुडो उम्र 13 वर्ष, घटनास्थल पर उनके साथ मौजूद थी, जिसकी पीडब्लू-2 के रूप में जांच की गई और उसने अपने बयान में कहा कि वह आरोपी को पहचानने में असमर्थ है और कहा कि घटना दो साल पहले हुई थी। वह अपने बयान से पलट गई और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और कहा कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने के लिए दिए गए सुझाव में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया था तथा वह पिछले दो वर्षों से ग्राम कोंडे में देवली बाई के साथ रह रही है।

39. नक्सलियों द्वारा किये जाने वाले हमले पूर्वनियोजित, अत्यधिक संगठित और राजनीति से प्रेरित होते हैं, जो उन्हें सामान्य अपराधों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक बनाते हैं। चोरी, डकैती या यहाँ तक कि हत्या जैसे आम अपराधों के विपरीत, नक्सली हमले उग्रवाद के ऐसे कार्य हैं जिनका उद्देश्य राज्य को अस्थिर करना है। इन अभियानों में घात लगाकर हमला करना, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाना और IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) तथा बारूदी सुरंगों जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शामिल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षाकर्मी अक्सर प्राथमिक लक्ष्य होते हैं। ये हमले सुनियोजित होते हैं और अधिकतम हताहतों को पहुंचाने, सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर करने



और दूरदराज और जंगली इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने के इरादे से अंजाम दिए जाते हैं। आम अपराध आमतौर पर वित्तीय लाभ, बदला या जुनून जैसे व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत, नक्सली हमले राजनीतिक और वैचारिक रूप से प्रेरित होते हैं। ये अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि राज्य के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा हैं। अपराधियों के विपरीत जो व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं, नक्सलियों का लक्ष्य हिंसक साधनों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। आम तौर पर, नक्सली दूरदराज के जंगली इलाकों में काम करते हैं जहाँ फॉरेंसिक या भौतिक साक्ष्य एकत्र करना मुश्किल होता है। उनके कई हमलों में आईईडी विस्फोट, घात लगाना और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति शामिल होती है, जिससे व्यक्तिगत अपराधियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्थानीय ग्रामीण, जो अक्सर नक्सली गतिविधियों के गवाह होते हैं, हिंसक प्रतिशोध के डर से गवाही देने के लिये अनिच्छुक हैं। चूंकि नक्सली कुछ क्षेत्रों पर मजबूत नियंत्रण रखते हैं, इसलिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति निशाना बन जाता है, जिसके कारण साक्षियों को धमकाया जाता है या पूरी तरह से मौन करा दिया जाता है। पारंपरिक अपराधियों के विपरीत, नक्सली पहचान योग्य नामों से काम नहीं करते हैं या उचित अभिलेख नहीं रखते हैं। उनमें से कई छद्म नामों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए उनकी वास्तविक पहचान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में स्वतः ही अभियुक्तों की निर्दोषता के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

40. विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपर्युक्त निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि:---

“(i) मृतक दादूसिंह कोराटिया की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

(ii) यह अपीलकर्ता ही हैं जिन्होंने सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मृतक दादूसिंह कोराटिया की हत्या की।”

41. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथनों और विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दर्ज निष्कर्षों पर विचार करते हुए, यह परिलक्षित होता है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स.पी/32 बी) में केवल तीन अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् सुन्हेर पुडो, जयलाल मरकाम और जदगुराम कोरम को नामजद किया गया है, लेकिन उनके ज्ञापन बयानों से, अन्य अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् दलसु राम पुडो और सुकाल उर्फ मानसिंह यादव को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उपरोक्त साक्ष्य और डॉक्टर के बयान और रिपोर्ट से यह और भी स्पष्ट है, जिससे यह साबित हुआ कि मृतक दादूसिंह कोराटिया की मृत्यु की प्रकृति गोली लगने और मृत्यु से पहले धारदार हथियार से प्रहार करने से हुई चोटों के कारण हत्या थी। अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य तथा शिकायतकर्ता जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, के कथन तथा अन्य गवाहों के साक्ष्य जो घटनास्थल की परिस्थितियों को उजागर करते हैं तथा हत्या के पश्चात की परिस्थितियों पर प्राप्त साक्ष्य से अभियोजन पक्ष इस



मामले को संदेह एवं संभावना से परे साबित करने में सफल रहा है कि मृतक दादूसिंह कोरटिया की हत्या एक अज्ञात नक्सली द्वारा गोली मारकर की गई थी जो मृतक के घर एक बच्चे के साथ आया था तथा दो अज्ञात नक्सलियों के साथ घटनास्थल से कुछ दूरी पर 10-12 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें अभियुक्तगण भी शामिल थे तथा हत्या की घटना के पश्चात उन्होंने "लाल सलाम जिंदाबाद, माओवादी जिंदाबाद" के नारे लगाए तथा यह भी कहा कि आरएसएस के गुंडे दादूसिंह को इसी तरह मरना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण/आरोपियों ने अज्ञात नक्सलियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की थी क्योंकि उन्होंने मिलकर मृतक दादूसिंह की हत्या का षडयंत्र रचा था तथा सामान्य अपराध करने के लिए घातक हथियारों से लैस एक गैरकानूनी समूह के सदस्य होने के कारण उन्होंने बल एवं हिंसा का प्रयोग किया तथा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने दादूसिंह की हत्या की, अतः आरोपीगण ने मृतक की हत्या की। सुन्हेर पुडो, जयलाल मरकाम, जगदुराम कोरम, दलसू राम पुडो, सुकाल उर्फ मानसिंह यादव को आईपीसी की धारा 148, 120 बी और 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है।

42. उपरोक्त कारणों से, यह स्थापित हो गया है कि अभियुक्त षडयंत्र का हिस्सा थे, जो गांव के सरपंच के साथ-साथ आरएसएस गुंडे के खिलाफ था और सामान्य उद्देश्य के लिए, वे षडयंत्र रच रहे थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती के बयान से साबित होता है। देवली कोरटिया (पीडब्लू-1), जो मृतक दादूसिंह कोरटिया की पत्नी हैं, जिन्होंने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तगण को प्रश्नगत अपराध का हिस्सा होने के रूप में पहचाना और साथ ही उन्होंने स्वयं आरोपियों के नाम अर्थात् सुन्हेर पुडो, जयलाल मरकाम और जगदूराम कोरम का उल्लेख करते हुए एफआईआर दर्ज कराई और उनके ज्ञापन बयानों के आधार पर अन्य अभियुक्त अर्थात् दलसू राम पुडो और सुकाल उर्फ मानसिंह यादव को प्रश्नगत अपराध में शामिल किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद नौशाद (सुप्रा) और राम नारायण पोपली (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात के प्रकाश में और उपरोक्त विश्लेषण से हम इस सुविचारित राय पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धाराओं 148, 120 बी और 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं/दोषियों के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है।

43. परिणामस्वरूप, ये आपराधिक अपीलें (सीआरए संख्या 354/2024, 309/2024, 425/2024 और 1333/2024) योग्यता से रहित हैं और खारिज की जाती हैं।

44. न्यायालय में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता कारागार में हैं, उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दंड भुगतना होगा।

45. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजी जाए, जहां अपीलकर्ता अपनी कारागार की दंड भुगतना होगा, ताकि अपीलकर्ताओं को इसकी सूचना दी जा सके और उन्हें सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा



समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

46. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश





हेड नोट ---

विधि विरुद्ध सभा का सामान्य उद्देश्य सभा की प्रकृति, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और घटनास्थल पर या उससे पहले सभा के व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक अनुमान है।





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।